बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय) को उनके मंडल कारा, सीवान में पदस्थापन काल में दिनांक 03.08.2008 को जिला प्रशासन, सीवान द्वारा की गयी तलाशी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने तथा लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 9839 दिनांक 25.09.2008 द्वारा निलंबित किया गया एवं गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 9962 दिनांक 30.09.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5314 दिनांक 20.07.2009 द्वारा श्री सिन्हा को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् संचालित रहने तथा उसके फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4721 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा श्री सिन्हा को निम्न दंड अधिरोपित किया गया है :–

'' कालमान वेतन में दो वेतन वृद्धियों के समतुल्य राशि घटा कर वेतन अवनति ''।

4. उक्त आरोप प्रकरण में श्री सिन्हा दिनांक 25.09.2008 से 19.07.2009 तक निलंबित रहें। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के उप नियम–5 में विहित प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 3794 दिनांक 24.06.2016 द्वारा श्री सिन्हा से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आशय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। श्री सिन्हा का अभ्यावेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें विभागीय स्मार ज्ञापांक 5585 दिनांक 09.09.2016 भेजा गया।

5. तद्आलोक में श्री सिन्हा का अभ्यावेदन उनके पत्रांक 61 (c) दिनांक 10.09.2016 के द्वारा प्राप्त हुआ। श्री सिन्हा द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त निलंबन अवधि में उन्हें निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का उल्लेख करते हुए उक्त निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया। इस प्रकार श्री सिन्हा ने अपने अभ्यावेदन में अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् सभी प्रक्रियाओं का विधिवत् पालन करते हुए उन्हें नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये आरोप लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री सिन्हा का निलंबन औचित्यपूर्ण था, जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 (5) (7) के आलोक में संसूचित किया जाता है कि श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय) को निलंबन अवधि दिनांक 25.09.2008 से 19.07.2009 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि एवं पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक–के0 / कारा / विविध–03 / 08.....दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0 / –

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– के0 / कारा / विविध–03 / 08.....6065.....दिनांक–.....29-9-2016.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / कारा महानिरीक्षक कोषांग, बिहार, पटना / श्री ललन कुमार सिन्हा, अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय / प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29-9-16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)